(b) whether the disputes are relevant to para 7 and 17 of the DPCO, 1979;

(c) since when these disputes have been pending for decision; and

(d) what is the present position in regard thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) The following pleas, which have direct bearing on the assessment of amount recoverable under para 7 of DPCO, 1979, have been made on behalf of the for-mulators:

(i) rise in prices of the drug subsequent to 1984 was not taken into account.

(ii) fall in prices were already passed on 10 the consumers by selling the formulations at lower prices.

(iii) set-off to be allowed for the losses incurred due to non-revision of prices for a quite long time.

(iv) set-off to be given tor the increase in prices of packing materials etc.

(v) the vires of para 7 of DPCO, 1979 is challenged.

(c) and (d) The pleas referred to in (a) & (b) were made from time to time during the last few years. It has been decided to refer this matter to a high powered committee.

सवाई माधोपुर (राजस्थान) सीमेंट कारखाने को पुनः शुरू करने के लिए सहायता

***259. डा० अबरार अहमद खान:**
श्री भंवर लाल पंवार:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में सवाई माधोपुर में काफी लम्बे असें से बन्द पड़े सीमेंट कारखाने को शुरू करने के लिए राजस्थान राज्य को कोई निर्देश दिया है तथा उसे कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या इस कारखाने के बन्द हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार को भी कर राजस्व की भारी धनराशि की हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने पर कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान की गयी थी। किंतु बैंक के संचालन गारंटी का नवीकरण न करने के कारण 1.7.88 से बंद कर दिये गये हैं। राज्य सरकार तथा कंपनी से प्राप्त पत्र के आधार पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) ने पुनर्वास स्कीम तैयार करने के लिए संचालन एजेंसी के रूप में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई. आर. बी. आई.) की नियुक्ति की। मामले के सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बोर्ड की विशेष बैंच, 30 जनवरी, 1989 को हुई अपनी अंतिम सुनवाई में प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जयपुर उद्योग लिमिटेड की रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन जीव्यक्षम नहीं बनाया जा सकता और यह न्याय संगत और उचित है कि इसे बंद कर दिया जाए। सभी संबंधित से सुझाव/विचार/आपत्तियां मांगने हेतु एक कारण बताओ नोटिस सुनवाई की अगली तारीख 5.4.89 निर्धारित करने हेतु तदनुसार आदेश कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) इस फैक्ट्री द्वारा पहले अदा किया जा रहा औसत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 12 करोड़ रुपये वार्षिक था। इस आधार पर और वर्ष 1986-87 से 1988-89 (28.2.89) में इस फैक्ट्री द्वारा अदा किया गया वास्तविक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर विचार करते हुए पिछले तीन वर्षों में इस एकक के बारे में उत्पादन न होने के कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अनुमानित क्षति इस प्रकार है:—

वर्ष	शुल्क की हानि अनुमानित (रु० करोड़ में)
1986-87	0.50
1987-88	10.42
1988-89 (28.2.89 तक)	11.12